



EDU TERIA

Prelims Mains
Essay

E - D.N.A.

Daily Newspaper Analysis

By- Nikhil Ranjan

Useful For Prelims

Date: 14 January 2026

गोवा मुक्ति आंदोलन में सुधाताई जोशी ने दिया था अहम योगदान



स्वतंत्रता सेनानी सुधाताई जोशी का जन्म 1918 में आज ही गोवा में हुआ था। गोवा मुक्ति संग्राम में शामिल महादेव शास्त्री जोशी से विवाह के बाद से वह भी इस आंदोलन से जुड़ गईं। सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए गुप्त रूप से गोवा में प्रवेश किया। 1955 में मापुसा में गोवा कांग्रेस का पहला बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। जब वह स्वयंसेवकों को संबोधित कर रही थीं, तभी एक पुर्तगाली अधिकारी ने बंदूक दिखाकर उन्हें रोका लेकिन वह निडर होकर बोलती रहीं। इसके बाद उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जेल में स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण 1959 में उन्हें रिहा करना पड़ा।



India Energy Week 2026

One Platform, Infinite Possibilities.

27-30 January 2026
ONGC ATI, GOA, INDIA

Energising Growth.
Securing Economies. Enriching Lives.

75,000+	700+	120+	6,500+	550+	120+
Energy Professionals	Exhibiting Companies	Countries Represented	Conference Delegates	Conference Speakers	Conference Sessions



EDITORIAL

भारत से जुड़ाव बढ़ाने को बेताब जर्मनी



टीसीए रंगाचारी | पूर्व राजनयिक

एक अच्छी विश्व व्यवस्था का हिमायती हिन्दुस्तान भी है और जर्मनी भी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इसे बखूबी समझ रहे हैं और उनकी भारत यात्रा से रिश्तों को मजबूती मिली है।



'इंटेंट', यानी 'हमारा इरादा है' जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इससे आगे की राह तैयार होगी। दोनों देशों में बनी सहमति के मुताबिक, अब जर्मन एयरपोर्ट से गुजरने पर भारतीयों को 'ट्रांजिट वीजा' नहीं लगेगा। इससे लोगों के आपसी संपर्क सुधर सकेंगे।

गौरतलब है, पूरे यूरोप में प्रवासन एक बड़ा मुद्दा है। जर्मनी अपवाद नहीं है। उसकी दिक्कत यह है कि जर्मन मूल के लोग धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। जर्मनी की आबादी अभी करीब 8.5 करोड़ है, जिसमें लगभग 10 फीसदी हिस्सा विदेशी मूल के लोगों का है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके उलट, जर्मनी में प्रतिस्थापन दर एक प्रतिशत से भी नीचे चली गई है, जबकि इसका 2.1 फीसदी रहना जरूरी माना जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि यहां भविष्य में जर्मन आबादी घटती जाएगी, जिससे सामाजिक सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ सकता है।

यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। हिन्दुस्तानियों के साथ जर्मन लोगों को कोई दिक्कत

पेश नहीं आती। इसका एक बड़ा उदाहरण नर्सिंग है। वहां भारतीय नर्सों की आमद को लेकर जर्मन करीब दो दशक पहले काफी प्रयास किए थे, जब मैं वहां अपनी सेवा दे रहा था। हालांकि, उन दिनों वीजा नियम सरल नहीं थे, जिसके कारण यह संभव नहीं हो पाया, लेकिन अब वीजा नियम आसान बनाने से परिस्थितियां बदल सकती हैं।

जर्मनी में अक्सरों का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि जर्मन भाषा में कुशलता पाई जाए। यही कारण है कि मैं भारत में अंग्रेजी के साथ जर्मन और फ्रांसीसी सीखने को बकालत करता हूं। बर्लिन में अभी 2.75 लाख भारतीय रहते हैं, जो अमूमन कम समय के लिए जाते हैं। कई लोग इसलिए वहां नहीं जा पाते, क्योंकि उनको जर्मन नहीं आती, जबकि भाषायी दक्षता के साथ-साथ यदि आपके पास विज्ञान में जरूरी डिग्री हो, तो वहां नौकरी पाना आसान हो सकता है। पहले दोनो देश एक-दूसरे की डिग्री को मान्यता नहीं देते थे, लेकिन

अब इस मामले में भी बातचीत आगे बढ़ी है। इसी तरह, रक्षा सौदा भी इस दौर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वास्तव में, तकनीक में जर्मनी काफी आगे है। जर्मन चांसलर की यात्रा में सह-विकास और सह-उत्पादन पर सहमति बनी है। बर्लिन अब नई दिल्ली के साथ रक्षा सौदा कर रहा है। यह हमारे लिए उपयोगी होगा। यहां यह सवाल उठ सकता है कि क्या यूरोप के अन्य देश भी इस तरह के समझौते हमारे साथ कर सकते हैं? निस्संदेह वे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते की शर्तें अलग होंगी, जबकि द्विपक्षीय समझौतों की अलग होती हैं।

मर्ज के दौर में पनुडुबियों के साझा निर्माण पर हुआ समझौता एक बड़ा कदम माना जाएगा। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा मुद्देया कराने वाला एक प्रमुख देश है। हिंद महासागर में समुद्री डकैती और ऐसे ही दूसरे खतरों के खिलाफ भी नई दिल्ली एक बड़ी सुरक्षा गारंटी है। इस समझौते से इस क्षेत्र को समुद्री गतिविधियों में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलेगी। समुद्री रास्तों की सुरक्षा भी इसी में शामिल है। इससे 'क्वाड' का एक महत्वपूर्ण मकसद भी पूरा हो सकेगा। क्वाड दरअसल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुला और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है। सुरक्षा सहयोग में और भी कई संभावनाएं हैं, जिसकी झलक आतंकवाद से लड़ने को लेकर भारत-जर्मनी संयुक्त वक्तव्य में जताई गई प्रतिबद्धता से मिलती है। देखा जाए, तो स्थिरता और सुरक्षा प्रति वस्तुहाली के लिए जरूरी है, और दोनों देश यहां चाहते हैं।

हालांकि, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भले ही भारत-जर्मनी के बीच 50 अरब डॉलर से कुछ अधिक का सालाना कारोबार होता है, लेकिन चीन के मुकाबले यह चार गुना कम है। उल्लेखनीय है कि जर्मनी का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार अमेरिका था, पर बीते साल चीन ने उससे यह ओहदा छीन लिया है। साल 2025 के शुरुआती 10 महीनों में 173 अरब डॉलर से अधिक का कारोबार दोनों देशों कर चुके थे, जो 2024 के इसी अवधि से 3.5 प्रतिशत अधिक था। यह बताता है कि हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे में, मर्ज का दौरा नए साल में एक अच्छी शुरुआत है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का पद संभालने के कुछ महीनों के भीतर ही एशिया की अपनी पहली यात्रा के रूप में भारत को चुनना इस बात का संकेत है कि बर्लिन अब नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। अक्टूबर 2024 में, जर्मन कैबिनेट ने 'फोकस ऑन इंडिया' नाम से एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत के साथ सहयोग को जर्मनी एक ऐसे अवसर के रूप में देखता है, जिससे वह अपने उद्देश्यों को पूरा सकता है।

सहयोग का यह दायरा कई क्षेत्रों में फैला हुआ है- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक। इसे आकार और आधार देते हैं- लोकतंत्र, कानून का शासन और मानवाधिकार-पालन के साझा मूल्य। साथ ही, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, शिक्षा और लोगों के आपसी संपर्क से भी इस सहयोग को गति मिल रही है। भारत के लिए यह रिश्ता महत्वपूर्ण है। साझा मूल्य (विशेषकर लोकतांत्रिक मूल्य), लोगों में आपसी संपर्क, सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक व्यापार, विज्ञान और तकनीक ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हमें इसका फायदा मिलेगा। मर्ज की यात्रा बताती है कि अब जर्मनी ने भी भारत से अपने रिश्ते को फायदेमंद माना है। इससे द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती मिलेगी।

बर्लिन की बदलती सोच आने वाले दिनों के लिए शुभ है। इसी नींव पर ऐसी कई सारी चीजें खड़ी हो सकती हैं, जिनसे द्विपक्षीय रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू सकें। कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर दोनों देश एक-दूसरे का महत्व और समर्थन ले रहे हैं। विश्विकरण, निर्यात-आधारित एक अच्छी विश्व व्यवस्था का हिमायती हिन्दुस्तान भी है और जर्मनी भी।

हम चाहते हैं कि भारत के कुशल कामगारों को जर्मनी में काम के अवसर मिल सकें और इस सह को पावरटियां जल्द हटाई जाएं। मर्ज का दौरा इस सिलहान से सुखद रहा, क्योंकि वीजा को लेकर इतने संवेदनशील बनी है। यह जरूर है कि 2022 की तरह इस समझौते में भी

Hindustan Page

वीबी-जी राम जी से जुड़े वादे और चुनौतियां

लगभग दो दशकों से, भारत की नीतिगत व्यवस्था में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की एक खास जगह थी। इसका आर्थिक महत्त्व एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण संस्थात्मक विचार में था कि ग्रामीण संकट को स्थिति में इसे राज्य से मदद पाने के अधिकार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी ग्रामीण परिवार जो शारीरिक श्रम करने को तैयार हो वह 100 दिन तक रोजगार की मांग कर सकता था और प्रशासन को समय पर यह दायित्व पूरा करना होता था।

नगरिक को दायेंदारी और राज्य के दायित्व के इस फर्क ने इस कार्यक्रम को सिर्फ एक वज्रट से जुड़ा हस्तक्षेप नहीं रहने दिया। इसने श्रम बाजार के निचले स्तर पर अस्थिरता से बचाव के लिए एक बीमा के तौर पर काम किया, भले ही यह परिपूर्ण न हो। वित्त वर्ष 2024-25 में, मनरेगा ने 2.9 अरब कार्य दिवस का रोजगार दिया जिसमें कुल लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 58.1 फीसदी थी।

अब, इस व्यवस्था में अचानक बदलाव लाकर विकसित इसे भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 कर दिया गया है जो इस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को एक पूर्णतः संस्थागत ढांचे में बदल देता है। सरकार ने इस सुधार को आयुर्विचारण के तौर पर पेश किया है जिसमें अधिक रोजगार दिवसों की गारंटी, टिकाऊ संयमित बनाने पर जोर, कड़ी निगरानी और विकास प्राथमिकताओं के साथ बेसत तालमेल जरूरी है। लेकिन, इससे एक अलग बदलाव दिखता है और वह बदलाव यह है कि अभिचयता के दौर के लिए डिजाइन की गई योजना अब निरंगम से जुड़े बदलाव में बदल रही है।

यह अधिनियम ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष रोजगार

पात्रता को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करता है। संवैधानिक रूप में, यह परिवारों के लिए आय सुरक्षा को बढ़ाता है। लेकिन, कानूनी सीमा शायद ही कभी वाध्यकारी रही है। प्रति परिवार को दिया गया औसत रोजगार 2024-25 में 50.24 दिन ही था और पिछले चार वर्षों में भी लगातार ऐसा ही था, जिससे पता चलता है कि प्रभावशीलता इस बात से अधिक तय होती है कि मांग को फंडिंग कैसे की जाए, सूक्ष्मकृत कैसे मिले, इसे काम में कैसे बदला जाए न कि दिनों की संख्या से। इन चुनौतियां तंत्रों में बदलाव किए बिना, कानूनी पात्रता दिनों को बढ़ाना काफी हद तक प्रतीकात्मक रहेगा।

अधिनियम बनाई गई संपत्तियों की असमान गुणवत्ता और टिकाऊपन की समस्या को भी हल करना चाहता है।

वीबी-जी राम जी जल संरक्षण, जलवायु अनुकूलन और चुनौतियां ढांचे से जुड़े कामों को एकत्रित करने का प्रस्ताव करता है और उन्हें ग्राम विकास योजनाओं से जोड़ती है। भारत में, जहां जलवायु झटके कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय को तेजी से बाधित कर रहे हैं, पानी की उपलब्धता को स्थिर करने या बाढ़ और सूखे से बचाने वाले निवेश तत्काल मजदूरी की प्रेरणा से परे लाभ दे सकते हैं।

मांग-संचालित रोजगार गारंटी योजना को तेजी से लागू होने वाला साधन बन रहा चाहिए। इसकी ताकत श्रम का जल्दी उपयोग करने में नहीं चाहिए, खासतौर पर तब जब परिवारों को निजी झटकों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत, उच्च-गुणवत्ता वाले चुनौतियां ढांचे के लिए तकनीकी डिजाइन, सही क्रम और लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। वीबी-जी राम जी के तहत पूरा अधिक जटिल परिस्थितियों



अमरेंद्र नंदी

पर है तो इसमें जोखिम यह है कि यह संकट के समय कम लचीली हो सकती है। इस बदलाव से यह योजना बीमा की तरह कम और निवेश की तरह ज्यादा हो जाएगी। इससे शायद औसतन ज्यादा फायदा हो लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वे उतनी जल्दी काम नहीं आएंगी।

हालांकि, इसमें सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव है। मनरेगा के तहत, फंडिंग मांग पर आधारित थी। जब ग्रामीण संकट बढ़ा यानी सूखा पड़ने, बाढ़ आने या आर्थिक झटकों के बाद इसका व्यय अपने आप बढ़ गया। इसने मनरेगा को पूरी तरह से नहीं बल्कि एक व्यापक आर्थिक स्थिरता के कारक के तौर पर काम करने दिया। नए अधिनियम के तहत, इस तर्क को मौलिक रूप से कमजोर कर दिया गया है।

वीबी-जी राम जी के तहत राज्य-वार मानक आवंटन की पेशकश की गई है जिसमें अतिरिक्त मांग को फंडिंग राज्यों को करने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार से वित्तीय जोखिम लेकर उन राज्यों को दिया जा रहा है जो उसे झेलने में कम सक्षम हैं। इससे राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा।

मुश्किल समय में, ग्रामीण राज्य खर्च बढ़ाने के बजाय काम कम कर सकते हैं, योजनाओं को मंजूरी देने में देरी कर सकते हैं या नियमों को और सख्त कर सकते हैं। इससे उप-राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है, जिससे संकट के समय राहत कार्य उल्टी दिशा में जा सकते हैं। मनरेगा के तहत जो योजना मांग के अनुसार मदद करने के लिए बनाई गई थी, वह वीबी-जी राम जी के तहत एक सीमित योजना बनकर रह सकती है।

इस योजना में 60 दिन का जो मौसमी ब्रेक दिया गया

है वह भी ठीक नहीं लगता। यह इस गलत सोच पर आधारित है कि जो आर्थिक संकट के समय जरूरी श्रम बाजार में कामगारों की कमी हो जाती है। भारत में, ग्रामीण श्रम बाजार अलग-अलग हिस्सों में बंटा हुआ है और अक्सर काम की कमी के साथ-साथ परिवारों की आर्थिक स्थिति भी नाजुक होता है।

अनुभवजन्य रिपोर्टें से पता चलता है कि भूमिहीन परिवारों, महिला श्रमिकों और स्वास्थ्य या कर्ज से जुड़े रहे लोगों के लिए, मनरेगा खेत में काम का विकल्प नहीं था, बल्कि वे एक सुरक्षा कवच था, जब आय के अन्य स्रोत विफल हो जाते थे। वीबी-जी राम जी का कैलेंडर आधारित काम का निलंबन उन परिस्थितियों को सीमित करता है जिनमें यह योजना कारगर हो सकती है जिससे परिवारों को एक साथ कई झटकों का सामना करने पर इतकी मदद करने की क्षमता कम हो जाती है।

सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि वीबी-जी राम जी ज्यादा कार्य दिवस देनी या बेहतर परिस्थितियों का सृजन करनी बल्कि यह है कि यह किस तरह के राज्य को कल्पना करता है और बनाता है। नया ढांचा प्रशासनिक दूरदर्शिता और निरंगम को लेकर ज्यादा आवश्यक दिखता है। लेकिन यह आत्मनिर्भरता में जोड़ें अधिक वार और असमान हो रहे हैं वहां लचीलापन पहले से योजना बनाने से ज्यादा, संकट आने के बाद तुरंत और बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता पर निर्भर करता है।

एक ग्रामीण रोजगार व्यवस्था जो बदलाव के मुकाबले निश्चितता को अधिक महत्त्व देती है वह सामान्य समय में तो ठीक से काम कर सकती है, लेकिन मुश्किल समय में भी स्थिरता का सहारा बनती है या सिर्फ अच्छे समय में अधिक कुशलता से काम करती है।

(लेखक भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची में अध्यक्ष और लोक नीति के एग्जीक्यूटिव फेलो हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

Ja

पर्यावरण संरक्षण में गांधी का नजरिया कितना प्रासंगिक

अरावली की नई परिभाषा से उपजे विवाद ने पर्यावरण की बहस को आम लोगों तक पहुंचा दिया है। पर्यावरण की लड़ाई आज पूरे संसार में स्वायत्त समाज के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में बदल गई है। इसे पहचानने के लिए द्राविड़ प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, अपने ही गांधी (महात्मा गांधी) के कहे को उलटने-पलटने की जरूरत है। बहुत पीछे हम न भी जाएं, तो 1920 से वह लगातार दानवी विकास से सीधी लड़ाई में लगे मिलते हैं। वह देश की राजनीतिक आजादी के लिए प्राणपन से जूझते हुए भी, मनुष्य की स्वायत्त जिंदगी की लड़ाई को कमजोर पड़ने नहीं देते हैं।

जिस बात को समझने और कहने की हिम्मत हम आज भी नहीं दिखा पा रहे, निहत्थे व गुलाम देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए महात्मा गांधी ने वह बात कही थी और इस तरह कही कि उनका कहा वक्त की सलीब पर आज भी दीपता है। गांधी ने कहा, 'ये राष्ट्र (यूरोप व अमेरिका) संसार की तथाकथित कमजोर और असंगठित जातियों का शोषण करने में समर्थ हैं...। मैं साफ शब्दों में अपना यह विश्वास जाहिर कर देना चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर माल तैयार करने का पागलपन ही आज के विश्व-संकट के लिए जिम्मेदार है। उद्योग (आप इसे अविवेकी विकास पढ़ें) मानव-जाति के लिए अभिशाप बन जाने वाला है। उद्योगवाद (आज का विकासवाद) सर्वथा इस बात पर निर्भर है कि आपमें शोषण करने की कितनी शक्ति है, विदेशी मंडियां आपके लिए कहां तक खुली हैं और प्रतिस्पर्द्धियों का कितना अभाव है। चूंकि इंग्लैंड के लिए ये बातें दिनोंदिन कम हो रही हैं, इसलिए उनके यहां बेकारों की संख्या रोज बढ़ रही है। जब इंग्लैंड की यह हालत है, तो भारत जैसे विशाल देश के लिए तो औद्योगीकरण से लाभ होने की आशा की ही नहीं जा सकती...क्या आप यह करुण स्थिति नहीं देख रहे कि हम अपने 30 करोड़ बेकारों के लिए काम जुटा सकते हैं, परंतु इंग्लैंड अपने 30 लाख के लिए कोई काम मुहैया नहीं कर सकता। उद्योगवाद का भविष्य अंधकारमय है। यदि उद्योगवाद का भविष्य पश्चिम के लिए अंधकारमय है, तो क्या भारत के लिए वह और भी अंधकारमय नहीं होगा?'

12 नवंबर, 1931 को *यंग इंडिया* में यह सब लिखने से पहले भी, कई-कई बार वह ऐसी चुनौती उछालते मिलते हैं। 3 नवंबर, 1921 को गांधी ने *यंग इंडिया* में ही



यहां स्कैन करें



कुमार प्रशांत | वरिष्ठ पत्रकार

सवाल खड़ा किया था, 'यदि संयोग से कोई एक आदमी किसी यांत्रिक आविष्कार द्वारा भारत की सारी भूमि जोत सके और खेती की तमाम पैदावार पर नियंत्रण कर ले, और यदि करोड़ों लोगों के पास कोई और धंधा न हो, तो वे सब भूखों मरेंगे और निकम्मे हो जाने के कारण जड़ बन जाएंगे, जैसे आज भी बहुत लोग बन गए हैं...।'

गांधी आंखों में आंखें डालकर उस दौर में भी हर आरोप का जवाब देते हैं, 'मुझे आपत्ति स्वयं मशीनों पर नहीं, बल्कि उनके लिए पागल बनने पर है। यह पागलपन श्रम बचाने वाले यंत्रों के लिए है... यहाँ तक कि हजारों लोगों को बेकार करके, भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मैं भी समय और श्रम बचाना चाहता हूँ, मगर मानव-समाज के एक अंश के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। चरखा-संघ ने सफलतापूर्वक दिखा दिया है कि देहातों में भारत की जरूरत का सारा कपड़ा तैयार किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्र का केवल अवकाश का समय ही कताई और उसके बाद की क्रियाओं में लगाना पड़ेगा। मेरे लिए वह चीज निषिद्ध है, जिसमें सबका हिस्सा न हो।'

यह गांधी उन्नाव की यौन पीड़िता के साथ खड़े दिखते हैं, क्योंकि समाज में शक्ति का एकाधिकार पुरुषों के लिए संरक्षित है। यह गांधी अरावली के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि यह विकास पूंजी के साथ कदमताल करता है। पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाता है, इसलिए जरूरी है कि लोग, समाज, संविधान, न्यायपालिका, सब गांधी के साथ खड़े हों और मुखर होकर कहें कि हमें वह विकास चाहिए ही नहीं, जो विशेषाधिकार व एकाधिकार के बिना पंगु है, गूंगा है। यह नई लक्ष्मण-रेखा है, जो कहती है कि उसकी छाया भी छूने की कोशिश न करना, फिर चाहे वह स्त्री के संदर्भ में हो या पर्यावरण के मामले में।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

संविधान, न्यायपालिका, समाज, सब गांधी के साथ खड़े होकर कहें कि हमें वह विकास चाहिए ही नहीं, जो एकाधिकार के बिना पंगु है।